न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3915–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–8–2013 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 65/2012–13 स्वमेव निगरानी.

मेसर्स फिलिट होम्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0 द्वारा
डायरेक्टर निवासी 301, प्रतीक मेंशन सेन्टपॉल
स्कूल के पास, मुरार ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन .....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 60/2012–13/172 (1) अ–2 में पारित आदेश दिनांक 24–1–2012 द्वारस ग्राम मुरार पटवारी हल्का नं. 92 स्थित भूमि सर्वे कमांक 134 मिन–2 रकबा 0.732 हेक्टेयर भूमि के व्यपवर्तन का आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश में अनियमितातायें पाते हुए कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 42/2012–13/स्व. निगरानी से अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक

12–8–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का व्यपवर्तन आदेश दिनांक 24–1–2013 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाला एवं आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को पत्र भेजा गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन आदेश पारित किया गया है, जिसे स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाने का आधार उपलब्ध नहीं होते हुए भी कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) वर्ष 2011 में विकास योजना प्रभावशील नहीं हुआ था, केवल प्रस्ताव पारित कर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, इसलिए कलेक्टर द्वारा काल्पनिक आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन कराया गया है, और मास्टर प्लान में प्रश्नाधीन भूमि आवासीय उपयोग की ही है ।

(4) कलेक्टर द्वारा अपने जवाब में यह नहीं बताया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब क्योंकर संतोषजनक नहीं है ।

(5) आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) ग्वालियर विकास योजना के तहत रेलपथ से 30 मीटर छोड़कर भूमि का उपयोग करने का प्रावधान है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि व्यपवर्तन का आदेश पारित करने में उक्त प्रावधान पर विचार नहीं किया गया ।

(2) म.प्र. नगर तथा निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 25 (1) विकास योजना के प्रवृत होने के पश्चात भूमि का उपयोग तथा विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप होगा, और

ऐसी भूमि, जो कि म0प्र0 नगर तथा निवेश अधिनियम की धारा 23–क एवं 23–ख के अंतर्गत विकास योजना में प्रावधानित है, उसके लिए राज्य शासन सक्षम है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान करने में रेलवे लाईन की सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधनिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर